राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

डी.बी. सिविल रिट याचिका सं.7600/2024

1. राजेंद्र चौधरी पुत्र गोविंद राम जी चौधरी, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी 60, मरुधर केसरी नगर, ग्राम न्यायालय के पास, खोखरिया, जोधपुर।
2. कल्याण सिंह लालरिया पुत्र श्री दुर्गा राम जी जाट, आयु लगभग 45 वर्ष, स्थायी पता 154, लालनियो का बास, रूण, जिला नागौर, वर्तमान निवासी 48, रूप नगर, पावटा सी रोड, जोधपुर और रामदेव नगर, गुजरावास, खोखरिया, ग्राम न्यायालय के पास, जोधपुर।
3. वीरेंद्र जाखड़ पुत्र श्री राम किशोर चौधरी, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी धापी मार्बल रोड, भोमिया जी थान के पास, नांदड़ी, जोधपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये जिला कलेक्टर, जोधपुर ।
2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।
3. अधीक्षण अभियंता, आरयूआईडीपी, चतुर्थ चरण, ट्रांच II, पीआईयू (परियोजना कार्यान्वयन इकाई), जोधपुर।

----प्रत्यर्थीगण

.....

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से	:	श्री सी.एस.कोटवानी,
प्रत्यर्थी(ओं) के लिए	:	श्री राजेश पंवार, एएजी
		श्री आयुष गहलोत, एएएजी

.....

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् श्री चंद्रशेखर

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् संदीप शाह

<u>आदेश</u>

<u>12/05/2025</u>

माननीय श्री संदीप शाह, जे के अनुसार:

ग्राम न्यायालय, जोधपुर में विधि व्यवसायरत अधिवक्तागण ने जनहित याचिका के रूप में वर्तमान रिट याचिका दायर की है, जिसमें निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई हैं-

> *"i. प्रत्यर्थीगण को दिनांक06.01.2011 (अनुलग्नक1) की एनओसी रद्द करने का निर्देश दिया जाए*
>
> *ii. इसके अतिरिक्त प्रार्थना की गई कि प्रत्यर्थी सं3 को एसटीपी संयंत्र को वर्तमान स्थान से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाए, जहां एनओसी प्रदान की गई है।*
>
> *iii. कोई अन्य अनुतोष, जिसे यह माननीय न्यायालय ठीक समझे, भी प्रदान की जाए।"*

2. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि जोधपुर तहसील के खोखरिया गाँव के खसरा संख्या 119 पर जोधपुर में एक ग्राम न्यायालय का निर्माण प्रस्तावित था, इस उद्देश्य के लिए 6 जनवरी 2011 के आदेश द्वारा 2 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। तत्पश्चात्, सन्निमार्ण कार्य शुरू हुआ और पूरा हो गया। ग्राम न्यायालय का कार्य संचालन वर्ष2017 से शुरू गया है और याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए प्रकथनों के अनुसार, प्रतिदिन लगभग 50 अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होते हैं, और कई कक्षीकार भी ग्राम न्यायालय में आते हैं।

3. बाद में, मल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) स्थापित करने के उद्देश्य से, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 25 मई 2022 को एक सूचना जारी करके आपत्तियां आमंत्रित की गईं जिसमें ग्राम खोखरिया के खसरा सं.119 को एसटीपी के निर्माण के लिए स्थल के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया और यह भी उल्लेख किया गया कि एसटीपी की क्षमता 5 एमएलडी होगी। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया था कि राजस्थान शहरी अवसरंचना विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) चरण-4 के अंतर्गत एसटीपी के निर्माण के उद्देश्य से भूमि आवंटित किए जाने की मांग की गई थी। आपत्ति सूचना जारी किए जाने के पश्चात, जोधपुर विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा दिनांक 2 जून 2023 का आवंटन आदेश जारी किया गया, जिसके द्वारा एसटीपी के निर्माण के उद्देश्य से 4,500 वर्ग मीटर भूमि अलग रखी गई और आवंटित की गई।

4. याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए प्रकथन के अनुसार, उन्हें आवंटन के संबंध में बाद में पता चला कि भूमि का आवंटन ग्राम न्यायालय से मात्र 30 मीटर की दूरी पर था। अतः, उन्होंने यह कहते हुए आपत्तियां उठाईं कि ग्राम न्यायालय और एसटीपी के बीच की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए और एसटीपी की स्थिति के कारण न्यायालय में कार्यरत वकीलों और कर्मचारियों को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी परिसंकट होंगे, क्योंकि जैव-एयरोसोल का जबरन अंतःश्वसन होगा, जिसमें स्वयं एलर्जी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं और वह विभिन्न बीमारियों का घर बनेगा।

5. याचिकाकर्ताओं ने अप्रैल 2022 की एक परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, जिसमें विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्रश्नगत एसटीपी एसबीआर तकनीक से प्रस्तावित है और एसटीपी

के पानी को कृषि, बागवानी और शहरी वानिकी विकास आदि के लिए उपचार के बाद पुनः उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। याचिकाकर्ताओं ने"नगरीय अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के निकट रहने पर जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव" नामक एक शोध लेख का हवाला दिया है, जो ग्रीस के पैट्रास विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों द्वारा किया गया एक शोध कार्य है जिसमें निवासियों से पूछे गए कतिपय प्रश्नों के आधार पर ग्रीस में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के सामान्य प्रभाव पर चर्चा की गई थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने आवंटन आदेश को रद्द करने और एसटीपी को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

6. राज्य सरकार ने जनहित याचिका के रूप में नामित याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियाँ उठाते हुए रिट याचिका पर एक उत्तर दायर किया। राज्य सरकार का यह अभिमत है कि लिया गया निर्णय एक नीतिगत निर्णय है और यह कार्यपालिका की अधिकारिता में है कि वह यह तय करे कि कौन सा स्थान उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त है। यह भी प्राख्यान किया गया है कि आपत्ति आमंत्रित करने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं ने कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की और इसलिए उन्हें एसटीपी की स्थापना का मुद्दा उठाने से रोक दिया गया है। प्रत्यर्थीगण ने आगे प्राख्यान किया कि एसटीपी के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 4,500 वर्ग मीटर है और आवंटित भूमि का 33% भाग हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ विभिन्न पंक्तियों और परतों में पौधे उगाए जाएँगे। इस प्रकार, एसटीपी की परिचालन इकाई ग्राम न्यायालय से 90 मीटर से अधिक दूर होगी। इस प्रकार यह दावा किया गया कि

हरित पट्टी गलियारा यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालय की संपत्ति या न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े।

7. प्रत्यर्थीगण ने अपने अभिमत को न्यायोचित ठहराने के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण योजना, गूगल इमेज आदि भी अभिलेख पर प्रस्तुत किए। प्रत्यर्थीगण ने आगे प्राख्यान किया कि खोखरिया गाँव में प्रश्नगत स्थल पर स्थापित किया जा रहा एसटीपी एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर(एसबीआर) तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसके कई लाभ हैं, जिनमें कुशल जैविक उपचार भी शामिल है, अर्थात ऐसा उपचार जो अपशिष्ट जल से कार्बनिक पदार्थों को हटाता है, नाइट्रिफाई करता है, डिनाइट्रिफाई करता है और जैविक फॉस्फोरस को हटाता है। यह तकनीक गंध और सड़न को कम करके और रोगजनक जीवों के स्तर को बनाए रखकर स्लज का स्थिरीकरण सुनिश्चित करती है।

8. यह भी प्राख्यान किया गया है कि विभिन्न कार्य स्थितियों में अपनी प्रभावशीलता के कारण, एसबीआर तकनीक का भारत के कई राज्यों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और यह तकनीक पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करती है और इस प्रयोजनार्थ बनाए गए विभिन्न कानूनों के तहत प्रदान किए गए नियामक मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है। प्रत्यर्थीगण ने जेबीआर उपचार संयंत्र की नई तकनीक के लाभों और इसके कारण पर्यावरण पर कम प्रभाव को पुष्ट करने के लिए, भारत के चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की हरप्रीत कौर और डॉ संजय शर्मा

द्वारा लिखे गए "विभिन्न मल उपचार तकनीकों का तुलनात्मक अध्ययन' शीर्षक वाले लेख का हवाला दिया है।

9. प्रत्यर्थीगण ने आगे प्राख्यान किया है कि जहां तक जैवएयरोसोल उत्सर्जन का सवाल है, इस नई तकनीक के तहत एयरेशन टैंक के संचालन को समायोजित करके उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है और यह तकनीक सुनिश्चित करती है कि उत्सर्जन न्यूनतम हो क्योंकि यह महीन बुलबुला एयरेशन प्रणाली का उपयोग करती है जो वायुजनित सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम करती है। प्रत्यर्थीगण ने जवाब में कहा है कि संबंधित एसटीपी को सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर (एसबीआर) तकनीक के एक भाग के रूप में महीन बुलबुला डिफ्यूज़र से सुसज्जित किया जाएगा, जो अपने आप में जैव-एयरोसोल उत्सर्जन को प्रभावी रूप से कम करेगा और उपचार प्रवीणता में सुधार करेगा। अपने अभिमत को पुष्ट करने के लिए प्रत्यर्थीगण ने एसबीआर और पी एंड आईडी के लिए रेखाचित्र के साथ-साथ 21 अक्टूबर 2023 का पत्राचार भी अभिलेख पर रखा है, जबकि इस बात पर जोर दिया है कि संबंधित मल उपचार संयंत्र(एसटीपी) के लिए एसबीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

10. प्रत्यर्थीगण द्वारा यह भी प्राख्यान किया गया है कि प्रश्नगत स्थल का चयन बहुत पहले वर्ष 2013 में जेडीए की बैठक में लिए गए 24 सितंबर 2013 के निर्णय के अनुसार किया गया था और विभिन्न साध्य स्थानों पर विचार करने के बाद, सभी तकनीकी और साध्य रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात प्रश्नगत स्थल को सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। यह भी कहा गया है कि मलवहन के बहाव को ध्यान में रखते हुए, नगर स्तरीय समिति ने डीपीआर पर विचार करने

के बाद, स्थल को अंतिम रूप दे दिया था और यहां तक कि नगर निगम के विभिन्न वार्डों, आंगणवा गांव और खोखरिया से आरसीसी पाइपलाइनें भी बिछाई गई थीं, जो मलवहन नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में मल उपचार संयंत्रों तक जाती हैं। नगर निगम उत्तर द्वारा लगभग 18 करोड़, नगर निगम दक्षिण द्वारा 5.3 करोड़ और आरयूआईडीपी द्वारा 47 करोड़ का भारी निवेश पहले ही किया जा चुका है। प्रत्यर्थीगण ने अपने अभिमत को पुष्ट करने के लिए नक्शे और नगर स्तरीय समिति (सीएलसी) की बैठक के कार्यवृत्त और व्यय पत्रक भी अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं।

11. यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थीगण यह सुनिश्चित करेंगे कि एसटीपी संहत और बंद प्रणाली में संचालित हो और अत्याधुनिक तकनीक से गंध की समस्या न्यूनतम स्तर पर आ जाए। इस बात पर फिर से जोर दिया गया है कि पेड़ों की कई पंक्तियों के साथ हरित पट्टी विकसित की जाएगी। प्रत्यर्थीगण ने प्रश्नगत स्थल पर एसटीपी की स्थापना के लिए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई संचालन की सहमति दिनांक 20 दिसंबर 2024 को अभिलेख पर रखी और इस बात पर जोर दिया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लागू कानूनों, अर्थात जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, और सभी सुसंगत कारकों पर विचार करने के बाद संचालन की सहमति प्रदान की है।

12. यह प्रत्यर्थीगण का मामला है कि याचिकाकर्ता द्वारा संचालन की सहमति को चुनौती नहीं दी गई है, और न ही यह उपधारित करने का कोई आधार है कि इससे जल (प्रदूषण

निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा, और इसलिए, याचिका समय से पहले और गलत व्याख्या की गई है। इसलिए प्रत्यर्थीगण ने रिट याचिका को खर्चे सहित खारिज करने की प्रार्थना की है।

13. याचिकाकर्ताओं ने अपने-अपने अभिमत को न्यायोचित ठहराने के लिए जवाबुल जवाब और शपथ पत्र दायर किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से इस बात पर बल देने की कोशिश की है कि ग्राम न्यायालय पहले स्थापित किया गया था और उसके बाद एसटीपी प्रस्तावित किया गया है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण ने दलील दी है कि रिपोर्ट पहले तैयार की गई थी और एसटीपी की स्थापना के लिए क्षेत्र की पहचान की गई थी और इसी बीच ग्राम न्यायालय अस्तित्व में आ गया। आगे कहा गया है कि, शुरू में, जोधपुर के क्षेत्रों के लिए व्यापक सीवेज मास्टर प्लान से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम वर्ष 2010 में मेसर्स एनके बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दिया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट, तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन आदि प्राप्त करने के बाद, इसने एसटीपी की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की, जिसे 31 जुलाई 2013 को प्रत्यर्थीगण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, खोखरिया सहित विभिन्न स्थानों पर एसटीपी भूमि के आरक्षण की मंजूरी के लिए मामला 24 सितंबर 2013 को आयोजित बोर्ड की बैठक में रखा गया, और इसके प्रस्ताव संख्या 8 के तहत एसटीपी के प्रयोजन के लिए भूमि के आरक्षण के लिए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। दूसरी ओर, ग्राम न्यायालय के लिए भूमि 6 जनवरी

2013 को आवंटित की गई थी, कार्य आदेश 3 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था और निर्माण 31 मई 2015 को पूरा हुआ था। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने राज्य सीवेज और अपशिष्ट जल नीति, 2016 को अभिलेख पर रखा है, जो स्थानीय निकायों को स्वच्छता और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से दिशानिर्देश हैं यह नीति निजी क्षेत्र को सीवेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा उन्हें विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है।

14. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एसटीपी अभिकथित तौर पर ग्राम न्यायालय से केवल 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, इस न्यायालय ने 27 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थीगण को एक शपथपत्र दायर करने और भूमि की पहचान से संबंधित मूल अभिलेख लाने का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि एसटीपी की पहचान पहले की गई थी या न्यायालय भवन पहले बना था। तत्पश्चात, शपथपत्र दायर करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि एसटीपी की स्थापना के लिए भूमि पहले ही चिन्हित कर ली गई थी। अपने29 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की-

> *"शपथपत्र का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि यद्यपि एसटीपी के लिए भूमि पहले ही चिन्हित कर ली गई थी, फिर भी न्यायालय भवन के लिए भूमि चिन्हित करने में उचित सावधानी बरते बिना, भूमि चिन्हित कर ली गई और न्यायालय भवन का निर्माण हो गया, जो प्रस्तावित एसटीपी के सामने है।*
>
> *इस स्तर पर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उन्हें वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय दिया जाए।*

दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें।

अंतरिम आदेश जारी रहेगा।'

15. इसके बाद प्रत्यर्थी वैकल्पिक स्थल का प्रस्ताव लेकर आए, जो न्यायालय भवन से 100 मीटर दूर था। इसके बाद मामले की सुनवाई 18 मार्च 2025 को नियत की गई। इसके बाद, 24 मार्च 2025 को, याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय माँगा कि राज्य के वकील द्वारा सुझाए गए स्थान को क्यों न स्वीकार किया जाए और जनहित याचिका को बंद कर दिया जाए। आदेश इस प्रकार है-

"याचिकाकर्ता श्री राजेंद्र चौधरी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कारण बताने के लिए अल्पकालिक स्थगन का अनुरोध करते हैं कि प्रत्यर्थीराज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए स्थानान्तरण को क्यों स्वीकार न किया जाए और जनहित याचिका को बंद न किया जाए।

मामले को27.03.2025 हेतु सूचीबद्ध करें।'

16. तत्पश्चात, दिनांक 15 अप्रैल 2025 को, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वह संबंधित प्राधिकारियों के साथ आगे परामर्श करेंगे और प्रस्तावित स्थल से लगभग आगे के 100 मीटर की सीमा तक की संलग्न भूमि के स्वामित्व का विवरण देते हुए एक शपथ पत्र दायर करेंगे। इसके पश्चात् राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को एक शपथपत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि अब प्रस्तावित एसटीपी न्यायालय भवन से दूर (204 मीटर दूर) होगा और वर्तमान स्थान पूर्व प्रस्तावित स्थल से लगभग150 मीटर दूर है।

प्रत्यर्थीगण ने अपने शपथपत्र के साथ गूगल मानचित्र और प्रस्तावित स्थल का मानचित्र भी प्रस्तुत किया है। शपथपत्र का सुसंगत अंश इस प्रकार हैं-

> *"3. दिनांक 27.01.2025 के आदेश के अनुपालन में, विनम्र निवेदन है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के सक्षम प्राधिकारियों ने आरयूआईडीपी के प्राधिकारियों के साथ परामर्श किया, जिसके अनुसार परियोजना के सभी मापदंडों और साध्यता की जाँच के बाद, अब एसटीपी को न्यायालय भवन से 204 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित किया गया है। साथ ही वर्तमान स्थान पूर्व प्रस्तावित स्थल से लगभग 150 मीटर दूर है। उक्त तर्क को पुष्ट करने के लिए गूगल मानचित्र सहित योजना की एक प्रति संलग्न है और इसे अनुलग्नक ए/1 के रूप में अंकित किया गया है।"*

17. उभयपक्षों की बहस पर विचार करने तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, हम इस दृढ़ मत के है कि, जहां तक, मल उपचार संयंत्र का संबंध है, यह अपने आप में जनहित में है। प्रारंभ में, हालांकि उठाए गए मुद्दे को इस कारण से विचारार्थ ग्रहण किया गया था कि प्रस्तावित एसटीपी का स्थल ग्राम न्यायालय से अत्यधिक निकट (अर्थात 30 मीटर) था। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पश्चात्वर्ती स्थल प्रश्नगत स्थल से 204 मीटर दूर होने के कारण, वर्तमान मामले में अब आगे कोई न्यायनिर्णयन नहीं किया जाना है। इस बात की शायद ही किसी पुनरावृत्ति की आवश्यकता है कि एसटीपी की स्थापना जनहित में और लोक कल्याण के लिए है तथा किसी स्तर पर आसपास के लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है किंतु उस

कारण से वृहत्तर जनहित को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थियों ने आपत्तियां आमंत्रित करने वाला नोटिस और एसटीपी को स्वीकृति देने वाला आदेश, तथा स्थापित किए जा रहे एसटीपी के प्रकार के संबंध में विवरण, जहाँ वे अनुक्रमण बैच रिएक्टर तकनीक का उपयोग कर रहे होंगे, अभिलेख पर रखा है। उन्होंने प्रश्नगत तकनीक का विवरण भी अभिलेख पर रखा है, जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करेगा। इतना ही नहीं, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सभी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों, तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों और अन्य आनुषंगिक तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रश्नगत एसटीपी की स्थापना की सहमति प्रदान कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने स्थापना की सहमति को चुनौती भी नहीं दी है और न ही वे इस तथ्य से इनकार करने की स्थिति में हैं कि एसटीपी तकनीक अन्य एसटीपी में उपयोग की जाने वाली तकनीक की तुलना में अत्यधिक लाभदायक और पर्यावरणीय रूप से प्रभावी होगी, और न ही याचिकाकर्ता पर्यावरणीय कानूनों या किसी अन्य कानूनों और दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को इंगित करने में सक्षम रहे हैं।

18. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, न्यायालय यह निर्णय नहीं ले सकता कि मल उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए कौन सा स्थान अधिक उपयुक्त होगा। यह कार्य अनिवार्य रूप से सरकार और उसके प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है। स्थान का निर्धारण भूमि की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा। यह न्यायालय,

जनहित याचिका में, राज्य के कार्यकारी कार्यों को अपने हाथ में नहीं ले सकता, न ही न्यायालय प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय पर अपील कर सकता है।

19. इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थीगण ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि हरित पट्टी, जिसे कई पंक्तियों में विकसित किया जाएगा, यह सुनिश्चित करेगी कि कोई पर्यावरणीय परिसंकट न हो। अब, ग्राम न्यायालय परिसर से एसटीपी की दूरी भी 204 मीटर तक बढ़ा दी गई है। इस प्रकार, एसटीपी स्थापित करने की वर्तमान परियोजना में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तथापि, प्रत्यर्थी-प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एसटीपी की स्थापना के कारण किसी भी लागू पर्यावरणीय और अन्य कानूनों का कोई उल्लंघन न हो। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त उपचार संयंत्र के संचालन के लिए सभी सुरक्षा आवश्यकताओं, जिनके अंतर्गत धूम्रशोधन, संक्रमणमुक्ति आदि शामिल हैं, का ध्यान रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एसटीपी की स्थापना के कारण संक्रमणों का कोई प्रसार न हो।

20. डी.बी. सिविल रिट याचिका सं.7600/2024 इस प्रकार खारिज की जाती है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(संदीप शाह), जे **(श्री चन्द्रशेखर), जे**

25-लव/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का

अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी